Government of Bihar
Education Department

Notification N0.-15/M1-55/2014................/ Patna, dated............./

In exercise of the powers conferred by proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules to regulate the recruitment and service conditions of the Non-Gazetted employees in Kashi Prasad Jaiswal Research Institute under the Department of Education (Higher Education Directorate) :-

Chapter-1

1. **Short title, extent and commencement-** (1) These Rules may be called "Kashi Prasad Jaiswal Research Institute Non-Gazetterd employees (Recruitment and Service Conditions) Rules, 2015."

(2) It shall apply to Kashi Prasad Jaiswal Research Institute.

(3) It shall come into force at once.

Chapter-2

2. **Definitions:** - In these Rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:-

(i) "Government" means the State Government ;

(ii) "Appointing Authority" means the Authority authorized in Column (7) of Appendix (I);

(iii) "Controlling Officer" means Director Higher Education, Department of Education;

(iv) "Department" means Education Department, Govt. of Bihar;

(v) "Commission" means the Bihar Staff Selection Commission;

(vi) "Appointed Day" means the date of Commencement of these Rules; and

(vii) "Appointment on compassionate ground" means Appointment of compassionate ground of any of the dependents of the government servant dying in harness, in the service period as per relevant circulars/instructions.

3. **Post.**- The posts in the institute shall be as per Appendix-1of these rules. The creation of new posts and deletion of the sanctioned posts may be made by the State Government as per need. The services of the employees appointed earlier and working shall remain intact.

4. **Recruitment** .- (1) The appointment to the posts mentioned in column (1) to (5) of Appendix -I attached to these rules shall be made by the authority mentioned in front of those posts on the recommendation of the Commission. Appointment to the post mentioned in serial no. 6 of ScheduleI shall be made as per column (9).

(2) The procedure for appointment to the posts mentioned in serial no. 1 to 4 of Appendix-I shall be determined by the Regulations to be prepared by the Department separately.

(3) Appointment in clerical cadre shall be as follows:-

(i) 85% posts of Lower Division Clerk shall be filled up by direct recruitment and 15% posts shall be filled up from amongst such eligible Group "D" employees having the qualification of recruitment to the post of clerk, without any examination in order of seniority. Of the 85% posts for direct recruitment, 10% shall be reserved for the appointment on compassionate ground.

(ii) All recruitments shall be made in the category of Lower Division Clerk on the recommendation of the Commission.

(iii) The appointing authority shall calculate the vacancies on the basis of 1st April every year and shall send the requisition to the Commission by the 30th April.

(iv) The Commission shall advertise the vacancies and after selection of successful candidates on the basis of the Competitive Examination shall recommend the name of the candidates in order of merit to the Appointing Authority. The validity of the merit list shall be one year from the date of receipt of recommendation.

(v) The Appointing Authority, after due scrutiny, shall appoint the candidate on probation for two years.

5. **Reservation.-** Compliance of reservation/roster in recruitment as well as promotion, as notified by the State Government, from time to time, shall be necessary.

6. **Recruitment by promotion in the Clerical Cadre.-**

(1) The Appointing Authority shall prepare the seniority list of Intermediate (10+2) or equivalent pass group 'D' staff.

(2) The promotion shall be made according to the seniority on the recommendation of the Departmental Promotion Committee.

7. **Probation.-**Each recruitment shall be on probation for two years and it can be extended for one year in special circumstances by the Appointing Authority, if the probation period is not satisfactory. Such extension shall be made only if the Appointment Authority is of the opinion that the probationer has a chance to improve. If the service is not found satisfactory in the extended period also, the person concerned shall be removed from the service.

8. **Departmental Examination.-** (1) Departmental Examination shall be conducted by the Board of Revenue.

(2) There shall be two papers in the Departmental Examination and it shall be necessary to obtain 40% marks for passing the examination in each paper.

Paper – 1 :

Service Rules : - Bihar Service Code, Pension Rules, laws of seniority and promotion, Noting and Drafting.

Paper – 2 :

Financial Rules :- Treasury Code, Financial Rules, Practice and Procedure, Board Miscellaneous Rules, GPF Rules, TA Rules, Insurance Rules.

9. **Confirmation.** – A probationer shall be confirmed after completion of satisfactory probation period and passing of the Departmental Examination.

10. **Seniority.-** Inter-se-seniority of the member of the Clerical Cadre shall be according to their merit position determined by the Commission but the Inter-se-seniority decided before coming into force of these Rules shall remain unchangeable :

Provided that the person appointed on compassionate ground shall be junior to such persons who have been appointed on the basis of the Competitive Examination of concerned recruitment year.

Provided also that the person appointed through promotion in a recruitment year shall be a senior to the person appointed through competitive examination in the concerned recruitment year.

11. **Promotion.-** (1) Promotion from basic category to the higher category may be given on completion of KALAWADHI as determined by the General Administration Department, from time to time, and on the recommendation of Departmental Promotion Committee. The Departmental Promotion Committee shall be constituted by the Department.

12. **Residuary Matters.-** With regard to matters not specifically covered by these Rules, the members of the cadre shall be governed by the Rules, Regulations or Orders applicable to the officers/employees of the State Government at appropriate level.

13. **Removal of difficulties.-** The Government (General Administration Department) may, from time to time, issue such general or special direction after consultation with the Law Department as may be necessary to remove difficulties coming in the implementation of any of the provision of these Rules.

14. **Power to relax.-** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provision of these Rules with respect to any person or any grade after consultation with the Law Department.

15. **Interpretation.-** Where any doubt arises as to the interpretation of any of the provision of these Rules, the matter shall be determined by the General Administration Department after consultation with the Law Department, whose decision shall be final.

16. **Repeal & Savings.-**

(1) All resolutions and instructions issued earlier with respect to this cadre are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken in exercise of any power conferred by or under such resolutions, instructions shall be deemed to have been done or taken in exercise of the powers conferred by or under these Rules as if these Rules were in force on the day on which such thing or action was done or taken.

By order of the Governor of Bihar

Sd/-
Joint Secretary to Government

Memo No.-15/M 1-55/2014 – 1538 Patna, dated 04/8/15

Copy (alongwith C.D) forwarded to the Superintendent, Govt. Preess, Gulzarbagh, Patna for publishing it in the next (extra ordinary) issue of Bihar Gazette.

Sd/-
Joint Secretary to Government

Memo No.- 15/M 1-55/2014 - 1538 Patna, dated 04/8/15

Copy forwarded to Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister/P.S. to Hon'ble Departmental Minister/O.S.D. to Chief Secretary/Principal Secretary, General Administration Department/Principal Secretary, Finance Department/P.S. to Secretary, Law Department/P.S. Principal Secretary, Education Department/Vice-Chancellor, Lalit Narayan Mithila University, Darbhanga/Director, Higher Education/Director, K.P. Jaiswal Research Institute, Bihar, Patna/Director, all Research Institutes & Institutions under the control of the Directorate of Higher Education(Education Department)/All the Officers (including Section Officer 14 & 15 of the Head Quarters/I.T. Manager for information & necessary action.

2. I.T. Manager is directed to ensure uploading it in the Departments Website.

4/8/15
Joint Secretary to Government

R.
03/8/15

Appendix-I

	Name of Cadre/ Post	Number of Posts	The name of the Commission, on the recommendation of which the appointments are to be made	Minimum & Maximum Age limit for direct recruitment	Minimum qualification for direct recruitment	Appointing authority	Promotional Posts	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persian Scribe	01	Bihar Staff Selection Commission	Minimum age 23yrs and the Maximum age shall be those as determined the State Government from time to time	M.A. Persian or equivalent	Director Higher Education	-	-
2.	Decipherment Pandit	01	-do-	-do-	M.A. Sanskrit or equivalent & knowledge to read ancient hand written manuscripts, which would be examined during the interview	-do-	-	-
3.	Librarian	01	-do-	Minimum age 22yrs. and the Maximum age shall be those as determined the State Government from time to time	Graduate & degree in Library Science	-do-	-	-
4	Technical Assistant	01	-do-	Minimum age 23yrs and the Maximum age shall be those as determined the State Government from time to time	Post-Graduate or equivalent degree in Ancient Indian History/Archaeology & two years training in Archaeology work from a recognized Archaeological Institute/University	-do-	-	-
5.	Lower Division Clerk (Basic Category)	07	-do-	Minimum age 18yrs. and the Maximum age shall be those as determined by the State Government (General Administrative Department) from time to time	Minimum educational qualification Intermediate (10+2) or equivalent with knowledge of Computer Operation & Computer Typing	-do-	-	-
6.	Office Peon	08	-	-	-	-do-	-	The provisions of Rules notified by the Department of Personnel & Administrative Department(General Administrative Department) vide notification number 3/M-102/2007-1198, Dated 26.03.2010 shall apply *mutatis mutandis*

Joint Secretary to Government

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

अधिसूचना संख्याः—15/एम 1—55/2014 पटना, दिनांक....................

भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद् द्वारा शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा निदेशालय) के अधीन काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान में अराजपत्रित कर्मचारी की भर्त्ती एवं सेवाशर्त्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

अध्याय—1

1. **संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ** ।— *(1)* यह नियमावली ''काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान अराजपत्रित कर्मचारी (भर्त्ती एवं सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2015'' कही जा सकेगी।
   (2) यह काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान पर लागू होगा।
   (3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

अध्याय—2

2. **परिभाषाएँ** ।— जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरूद्ध न हो, इस नियमावली में;
   (i) 'सरकार' से अभिप्रेत है राज्य सरकार;
   (ii) 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है परिशिष्ट—I के स्तम्भ—7 में प्राधिकृत प्राधिकार'';
   (iii) 'नियंत्री प्राधिकार' से अभिप्रेत है निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग;
   (iv) 'विभाग' से अभिप्रेत है शिक्षा विभाग, बिहार सरकार;
   (v) 'आयोग' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग;
   (vi) 'नियत तिथि' से अभिप्रेत है इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि; तथा
   (vii) 'अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति' से अभिप्रेत है सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों में से किसी एक की प्रासंगिक परिपत्रों/अनुदेशों के अनुसार अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति।
3. **पद** ।— संस्थान में इस नियमावली के परिशिष्ट—I के अनुसार पद होंगे।

   आवश्यकतानुसार नये पदों का सृजन एवं स्वीकृत पदों का विलोपन राज्य सरकार द्वारा किया जा सकेगा। पूर्व से नियुक्त एवं कार्यरत् कर्मियों की सेवा अक्षुण्ण रहेगी।
4. **भर्त्ती** ।— *(1)* नियमावली के साथ संलग्न परिशिष्ट—I के क्रम संख्या 1 से 5 में उल्लिखित पदों पर भर्त्ती आयोग की अनुशंसा पर उन पदों के समक्ष उल्लिखित प्राधिकार द्वारा की जायेगी। क्रमांक —6 में उल्लिखित पद पर नियुक्ति परिशिष्ट—1 के कॉलम—9 के अनुसार होगी।

   (2) परिशिष्ट—1 के क्रमांक—1 से 4 तक के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया का अवधारण विभाग द्वारा अलग से तैयार की जानेवाली विनियमावली द्वारा किया जायेगा।

   (3) लिपिकीय संवर्ग में भर्त्ती निम्नानुसार होगी :—

   (i) निम्नवर्गीय लिपिक का 85% पद सीधी भर्त्ती से भरा जायेगा और 15% पद समूह 'घ' के वैसे कर्मी जो लिपिक के पद पर नियुक्ति की अर्हता रखते हों, से बिना किसी परीक्षा

के वरीयता क्रम में भरे जायेंगे। सीधी भर्त्ती के 85% पदों में से 10% अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए आरक्षित रहेगा।

(ii) सभी भर्त्तियाँ आयोग की अनुशंसा पर निम्नवर्गीय लिपिक की कोटि में की जायेगी।

(iii) नियुक्ति प्राधिकार प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के आधार पर रिक्तियों की गणना करेगा और 30 अप्रैल तक आयोग को अधियाचना भेज देगा।

(iv) आयोग रिक्तियों को विज्ञापित करेगा और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन करने के बाद नियुक्ति प्राधिकार को मेधा क्रम में अभ्यर्थियों के नाम की अनुशंसा करेगा। मेधा सूची की वैधता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष तक रहेगी।

(v) सम्यक् छानबीन के बाद नियुक्ति प्राधिकार अभ्यर्थी की नियुक्ति परिवीक्षा पर दो वर्षों के लिए करेगा।

5. **आरक्षण** ।— सीधी भर्त्ती एवं प्रोन्नति में, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित आरक्षण/रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा।

6. **लिपिकीय संवर्ग में प्रोन्नति द्वारा भर्त्ती** ।—(1) नियुक्ति प्राधिकार इन्टरमिडिएट (10+2) या समकक्ष उत्तीर्ण समूह 'घ' कर्मचारियों की वरीयता सूची तैयार करेगा।

(2) प्रोन्नति वरीयतानुसार विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जायेगी।

7. **परिवीक्षा** ।—प्रत्येक भर्त्ती परिवीक्षा पर दो वर्षों के लिए होगी और विशेष परिस्थितियों में इसका विस्तार एक वर्ष के लिए नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जा सकेगा, यदि परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं हो। ऐसा अवधि विस्तार तभी होगा जब नियुक्ति प्राधिकार की राय में परिवीक्षाधीन व्यक्ति में सुधार की गुंजाइश हो। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति को सेवामुक्त कर दिया जायेगा।

8. **विभागीय परीक्षा** ।— (1) परिशिष्ट–1 के क्रमांक–1 से 5 तक के पदो के लिए विभागीय परीक्षा राजस्व पर्षद द्वारा संचालित की जायेगी।

(2) विभागीय परीक्षा में दो पत्र होंगे और प्रत्येक पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

पत्र–1

सेवा नियमावली :–बिहार सेवा संहिता, पेंशन नियमावली, वरीयता एवं प्रोन्नति की विधि, टिप्पणी एवं प्रारूपण।

पत्र–2

वित्तीय नियमावली:–कोषागार संहिता, वित्तीय नियमावली, प्रैक्टिस ऐंड प्रोसिडियोर, बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली, सामान्य भविष्य निधि नियमावली, यात्रा–भत्ता नियमावली, बीमा नियमावली।

9. **सम्पुष्टि** ।—कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति परिवीक्षा अवधि की संतोषजनक समाप्ति तथा विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता के बाद सम्पुष्ट किया जायेगा।

10. **वरीयता** ।—लिपिकीय संवर्ग के सदस्य की आपसी वरीयता आयोग द्वारा विनिश्चित उनकी मेधा स्थिति के अनुसार होगी, परंतु इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व विनिश्चित आपसी वरीयता अपरिवर्तनीय रहेगी।

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति उन व्यक्तियों से कनीय होंगे जो संबंधित भर्त्ती वर्षों में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त किये गये हैं :

परन्तु यह भी कि किसी भर्त्ती वर्ष में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति संबंधित भर्त्ती वर्ष में प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्त व्यक्ति से वरीय होंगे।

11. **प्रोन्नति**।– (1) मूल कोटि से उच्चतर कोटि में प्रोन्नति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित कालावधि के पूरा होने पर और विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जा सकेगी। विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा किया जायेगा।

12. **अवशिष्ट मामले**।– ऐसे मामलों के संबंध में जो इस नियमावली द्वारा विशिष्ट रूप से आच्छादित नहीं हैं; संवर्ग के सदस्य राज्य सरकार के समुचित स्तर के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिए लागू नियमावली, विनियमावली या आदेशों से शासित होंगे।

13. **कठिनाई का निराकरण**।– सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग), समय–समय पर, ऐसा सामान्य या विशेष निदेश विधि विभाग के परामर्श के पश्चात्, जारी कर सकेगा, जो इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक हो।

14. **शिथिल करने की शक्ति**।– जहाँ सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है वहाँ आदेश द्वारा कारणों को अभिलिखित करते हुए विधि विभाग के परामर्श के पश्चात्, किसी व्यक्ति या किसी कोटि के संबंध में इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी को शिथिल कर सकेगी।

15. **निर्वचन**।– जहाँ इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो, वहाँ मामला सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, विधि विभाग के परामर्श के पश्चात्, विनिश्चित किया जायेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

16. **निरसन एवं व्यावृत्ति**।–(1) इस संवर्ग के संबंध में पूर्व में निर्गत सभी संकल्प एवं अनुदेश निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसा निरसन के होते हुए भी, ऐसे संकल्प, अनुदेश में प्रदत्त किसी शक्ति के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्रवाई समझी जायेगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी जिस दिन ऐसा कार्य या कार्रवाई की गयी थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव

अधिसूचना संख्या:–15/एम 1–55/2014............ दिनांक.................. का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

5/8/15

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप संख्या–15 / एम 1–55 / 2014 पटना, दिनांक..................

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सी0डी0 सहित राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप संख्या–15 / एम 1–55 / 2014—1538 पटना, दिनांक 04/8/15

प्रतिलिपिः–माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव / मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग / प्रधान सचिव, वित्त विभाग / सचिव, विधि विभाग के आप्त सचिव / विभागीय प्रधान सचिव के आप्त सचिव / निदेशक उच्च शिक्षा / निदेशक, काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान, बिहार, पटना / उच्च शिक्षा निदेशालय के नियंत्रणाधीन सभी शोध संस्थान एवं संस्थाओं के निदेशक / सभी उप निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय / मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी 14 एवं 15 सहित) / आई0टी0 मैनेजर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर को निदेश दिया जाता है कि इसे विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

सरकार के संयुक्त सचिव

03/8/15

परिशिष्ट–I

क्र0 सं0	संवर्ग / पद का नाम	पदों की संख्या	आयोग का नाम जिसकी अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति होनी है।	सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा	सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम योग्यताएँ	नियुक्ति प्राधिकार	प्रोन्नति का पद	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पर्सियन स्क्राईब	01	बिहार कर्मचारी चयन आयोग	न्यूनतम उम्र 23 वर्ष एवं अधिकतम उम्र वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाय।	एम0ए0 फारसी एवं समकक्ष	निदेशक (उ0शि0)		
2	डिसाईफरमेंट पंडित	01	तदैव	तदैव	एम0ए0 संस्कृत एवं समकक्ष तथा प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपियों को पढ़ने का ज्ञान, जिसकी जाँच साक्षात्कार के दरम्यान की जायेगी।	तदैव		
3	पुस्तकाध्यक्ष	01	तदैव	न्यूनतम उम्र 22 वर्ष एवं अधिकतम उम्र वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाय।	स्नातक एवं पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री	तदैव		
4	प्रावैधिक सहायक	01	तदैव	न्यूनतम उम्र 23 वर्ष एवं अधिकतम उम्र वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाय।	प्राचीन भारतीय इतिहास / पुरातत्व में स्नातकोत्तर एवं समकक्ष तथा किसी मान्यता प्राप्त पुरातात्विक संस्थान / विश्वविद्यालय से पुरातात्विक कार्य में दो वर्षों का प्रशिक्षण।	तदैव		
5	निम्नवर्गीय लिपिक (मूल कोटि)	07	तदैव	न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा वही होगी, जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाय।	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण के ज्ञान के साथ इन्टरमिडिएट (10+2) या समकक्ष उत्तीर्ण।	तदैव		
6	कार्यालय परिचारी (अनुसेवक)	08	–	–	–	तदैव		कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग) की अधिसूचना संख्या 3 / एम–102 / 2007–1198, दिनांक 26.03.2010 द्वारा समूह 'घ' के लिए निर्गत नियमावली (समय–समय पर यथा संशोधित) के प्रावधान हूबहू लागू होंगे।

Sys-1/D/Mishra Acc/K.P.J.-3 (2.7.15)

सरकार के संयुक्त सचिव